हर इंसान-एक समान | एक राष्ट्र-एक जान | मेरा भारत महान

समता आन्दोलन समिति (रजि.)

प्रान्तीय कार्यालय :जी-3, संगम रेजीडेन्सी, प्लाट नं. 9-10, गंगाराम की ढाणी, वैशाली नगर, जयपुर

Website :www.samtaandolan.co.in Email :samtaandolan@yahoo.in

माननीय श्री पानाचन्द जैन संरक्षक (पूर्व न्यायाधिपति) | माननीय श्री अशोक कुमार सिंह संरक्षक (पूर्व मेजर जनरल) | माननीय श्री भागीरथ शर्मा संरक्षक (पूर्व आई. ए. एस.)

श्री इकराम राजस्थानी
सलाहकार, मो. 098290-78682

पाराशर नारायण शर्मा
अध्यक्ष, मो. 094133-89665

विमल चौरड़िया
महासचिव , मो. 094140-58289

ललित चाचाण
कोषाध्यक्ष , मो. 094140-95368

प्रान्तीय उपाध्यक्ष एवं पदेन सम्भागीय अध्यक्ष :-

जयपुर
ऋषिराज राठौड़
मो. 9694348039

अजमेर
एन. के.झामड़
मो. 9414008416

बीकानेर
वाई. के. योगी
मो. 9414139621

भरतपुर
हेमराज गोयल
मो. 9460926850

जोधपुर
प्रहलाद सिंह राठौड़
मो. 9414085447

कोटा
डॉ. अनिल शर्मा
मो. 9414662244

उदयपुर
दूल्हा सिंह चूण्डावत
मो. 9571875488

क्रमांक 50259 दिनांक : 03.07.2020

श्रीमान अशोक गहलोत साहेब
माननीय मुख्यमंत्री
राजस्थान सरकार
जयपुर।

अति आवश्यक

विषयः– अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति बैकलॉग भर्ती घोटाला; राज्य सरकार को खरबों रूपये का चूना; करोड़ों का खेल; दोषियों को पहुंचाओं जेल।

महोदय,

विनम्र निवेदन है कि हम आपका ध्यान अजा/अजजा के कनिष्ठ सहायक/लिपिक ग्रेड द्वितीय सीधी भर्ती परीक्षा 2018 के अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के 1254 बैकलॉग पदों पर चयन किया जाना बहुत बड़ा भर्ती घोटाला है, जिसमें श्री आर. वेंकटेश्वरन, आई.ए.एस. के साथ कुछ अधिकारियों, विधायकों एवं प्राधिकारियों ने मिलकर भ्रष्टाचारपूर्ण तरीके से इस अविधिक, असवैधानिक भर्ती प्रकिया को चलाया है। इस भ्रष्ट एवं प्रदेश को शर्मशार करने वाली भर्ती प्रकिया से राज्य सरकार को आने वाले 30–35 वर्षों में खरबों रूपयों का अविधिक नुकसान होना तय है। आप कृपया निम्न तथ्यों पर ध्यान देवें:–

1. कनिष्ठ सहायक/लिपिक ग्रेड–।। संयुक्त भर्ती परीक्षा 2018 का विज्ञापन संख्या 07/2018 दिनांक 16.04.2018 को कुल 11255 पदों के लिए जारी किया गया था। इसकी संशोधित विज्ञप्ति दिनांक 04.06.2018 में आरपीएससी द्वारा 9 पदों की अर्थना को बढाकर 28 पदों की अर्थना किया गया। इसी प्रकार दिनांक 01.03.2019 को अनुसूचित एवं गैर अनुसूचित क्षेत्रों में कुछ और पद बढाने की घोषणा की गई जिसके अनुसार कुल 12092 पदों पर भर्ती किया जाना सूचित किया गया। इन तीनों ही विज्ञापनों में राज्य सरकार के निर्देशानुसार आरक्षण की गणना करते हुये वर्गवार आरक्षित पदों को भी दर्शाया गया था। किसी भी वर्ग में कोई भी बैकलॉग का पद नहीं दर्शाया गया था। जो यह प्रमाणित करता है कि किसी भी सरकारी विभाग में अजा/अजजा के बैकलॉग के कोई पद नहीं थे।
2. इस भर्ती प्रकिया के पूरा हो जाने के पश्चात भी अजा/अजजा वर्ग के लिए एक भी पद अपूरित (अनफिल्ड) नहीं पाया गया, जिससे स्पष्ट है कि इस भर्ती प्रकिया में भी कोई बैकलॉग का पद नहीं था।
3. कार्मिक विभाग द्वारा दिनांक 24.02.2020 को परिपत्र जारी करके सभी विभागों को आरक्षण के रोस्टर रजिस्टर संधारित करने के निर्देश दिये गये। इसी प्रकार दिनांक 29.05.2020 को पुनः एक परिपत्र आदेश जारी करके यह सख्त निर्देश दिये गये कि किसी भी सूरत में 20.08.2020 तक सभी विभागों में आरक्षण के रोस्टर रजिस्टर अनिवार्य रूप से संधारित कर लिये जावें। और 30 अगस्त तक अपने विभाग के सचिवों के माध्यम से आरक्षण रोस्टर रजिस्टर संधारित किये जाने संबंधित प्रमाणपत्र कार्मिक विभाग को अनिवार्य रूप से भेजे जाए। इन परिपत्रों से यह प्रकटतः प्रमाणित होता है कि राज्य सरकार के किसी भी विभाग में, किसी भी सेवा संवर्ग के रोस्टर रजिस्टर संधारित नही किये जा रहे है। आरक्षण रोस्टर रजिस्टर के बिना वर्गवार बैकलॉग पदों का निर्धारण संभव ही नहीं है।

(लगातार ––––– 2)

समता आन्दोलन समिति (रजि.)

प्रान्तीय कार्यालय :जी-3, संगम रेजीडेन्सी, प्लाट नं. 9-10, गंगाराम की ढाणी, वैशाली नगर, जयपुर

Website :www.samtaandolan.co.in Email :samtaandolan@yahoo.in

माननीय श्री पानाचन्द जैन, संरक्षक (पूर्व न्यायाधिपति)
माननीय श्री अशोक कुमार सिंह, संरक्षक (पूर्व मेजर जनरल)
माननीय श्री भागीरथ शर्मा, संरक्षक (पूर्व आई. ए. एस.)

श्री इकराम राजस्थानी
सलाहकार, मो. 098290-78682

पाराशर नारायण शर्मा
अध्यक्ष, मो. 094133-89665

विमल चौरड़िया
महासचिव , मो. 094140-58289

ललित चाचाण
कोषाध्यक्ष , मो. 094140-95368

प्रान्तीय उपाध्यक्ष एवं पदेन सम्भागीय अध्यक्ष :-

जयपुर
ऋषिराज राठौड़
मो. 9694348039

अजमेर
एन. के.झामड़
मो. 9414008416

बीकानेर
वाई. के. योगी
मो. 9414139621

भरतपुर
हेमराज गोयल
मो. 9460926850

जोधपुर
प्रहलाद सिंह राठौड़
मो. 9414085447

कोटा
डॉ. अनिल शर्मा
मो. 9414662244

उदयपुर
दूल्हा सिंह चूण्डावत
मो. 9571875488

क्रमांक दिनांक :

4. उपरोक्त 1254 बैकलॉग पदों पर भर्ती के लिए कोई नया विज्ञापन जारी नही किया गया, कोई नई भर्ती परीक्षा आयोजित नहीं की गई, वरन वर्ष 2018 की भर्ती परीक्षा प्रकिया सम्पूर्ण हो जाने के पश्चात अजा/अजजा के जो भी अभ्यर्थी तथाकथित प्रतिक्षा सूची में बताए गये उन्हें ही अविधिक रूप से बैकलॉग पदों पर चयनित मान लिया गया।

5. हमारे पास ऐसे दस्तावेजी साक्ष्य है जिनसे यह प्रमाणित होता है कि उपरोक्त बैकलॉग पदों पर चयनित अभ्यर्थियों को जिस-जिस विभाग में भेजा जा रहा है उन विभागों में अजा/अजजा के कोई भी पद रिक्त है ही नहीं। विभागों द्वारा बिना रिक्त पदों के अजा/अजजा के तथाकथित बैकलॉग पदों पर चयनित अभ्यर्थियों को कार्यग्रहण करवाये जाने में असमर्थता व्यक्त की जा रही है।

6. उपरोक्त बैकलॉग भर्ती घोटाले में संलिप्त श्री आर. वेंकटेश्वरन, आई.ए.एस के साथ अन्य अधिकारियों, विधायकों एवं प्राधिकारियों ने आपस में मिलीभगत करके और भ्रष्टाचार की राशि को पचाने के दुराशय से दिनांक 18.06.2020 को एक अन्य आदेश कमांक प.1(2)प्र. सु./अनु.-3/2020 जारी करके राज्य के सभी विभागों के अतिरिक्त मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव/सचिव को ये अविधिक निर्देश दिये है कि यदि उनके पास अजा/अजजा के रिक्त पद नहीं है तो तथाकथित बैकलॉग के नाम से चयनित अभ्यर्थियों को अन्य वर्गों के रिक्त पदों पर कार्यग्रहण करवा लिया जावें। इससे भी आगे बढकर ये भी निर्देश दिये गये है कि यदि किसी भी वर्ग में कोई भी पद रिक्त नहीं हो तो भी इन तथाकथित बैकलॉग भर्तियों पर आये अभ्यर्थियों को प्रथमतः कार्यग्रहण करवाया जावें एवं उसके पश्चात वित विभाग से न्यक्ति अधिकारी द्वारा अतिरिक्त पद सर्जित करवा लिये जावें। यह आदेश स्वतः ही इस भर्ती घोटाले का अकाट्य प्रमाण है कि श्री आर. वेंकटेश्वरन, आई.ए.एस. द्वारा कुछ अधिकारियों, विधायकों एवं प्राधिकारियों के साथ मिलीभगत करके उपरोक्त भर्ती घोटाले को अन्जाम दिया गया है। हमारे पास यह भी जानकारी है कि कुछ विधायकों द्वारा अपने नीहित स्वार्थों की पूर्ति हेतु एक राय होकर माननीय मुख्यमंत्री महोदय एवं माननीय मुख्य सचिव महोदय को भी दवाब में लेकर इस अविधिक भर्ती प्रकिया को अनुमोदित करने के लिए बाध्य किया गया है।

उपरोक्त अविधिक, असंवैधानिक एवं भ्रष्टाचारपूर्ण भर्ती घोटाले की तथ्यात्मक जानकारी आपके समक्ष प्रस्तुत करने के पश्चात हमारी आपसे करबद्ध प्रार्थना है कि कृपया इस अविधिक भर्ती प्रकिया को तत्काल रोका जाए; प्रदेश सरकार और मुख्यमंत्री महोदय की छवि को धूमिल होने से बचाया जाए; प्रदेश को आने वाले 30-35 वर्षों में खरबों रूपये का अविधिक एवं असंवैधानिक नुकसान होने से बचाया जाए । अभी हम यह आग्रह पत्र केवल आप श्रीमान मुख्यमंत्री महोदय और मुख्य सचिव महोदय को प्रेषित कर रहे है। हम इस शर्मनाक प्रकरण को उजागर करके प्रदेश सरकार की छवि को धूमिल करना नहीं चाहते है। यदि आप श्रीमान तीन दिवस में इस भर्ती प्रकिया को निरस्त करके हमें सूचित करने में असमर्थ रहते है तो हमें मजबूर होकर व्यापक जनहित में इस प्रकरण को आगे ले जाना होगा। जिसकी सम्पूर्ण जिम्मेवारी आप श्रीमान की होगी।

भवदीय

पाराशर नारायण
अध्यक्ष

कमांकः 50262-50461, दिनांक 06.07.2020

प्रतिः- सभी सम्मानीय विधायकों कोसादर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।